

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 40/2020

निर्णय दिनांक -26.06.2020

अण्छी बाई पत्नी श्री काशीराम जाति मीणा आयु वयरक निवासी सगवाडिया तह0 निम्बाहेडा राज0
-प्रार्थीया

// वनाम //

1. काशीराम पिता परथा जाति मीणा आयु वयरक निवासी सगवाडिया तह0 निम्बाहेडा ।
2. दाखी बाई पत्नी प्रेम जाति मीणा आयु वयरक निवासी सगवाडिया तह0 निम्बाहेडा ।
3. राजेश पिता प्रहलाद जाति तेली आयु वयरक नि0 सगवाडिया तह0 निम्बाहेडा ।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सगवाडिया पटवार हल्का बाडी तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 52 की आराजी न0 37 रकवा 1.2600 हेक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीया की खातेदारी कि वाके मौजा सगवाडिया पटवार हल्का बाडी तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 52 की आराजी नं0 37 रकवा 1.2600 हेक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 26.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with Cam

